औपचारिक
रूप से परामर्शित

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

संकल्प

विषय:- **सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना के अंतर्गत उठाव किये गये खाद्यान्न के अवशेष अंश की वसूली एवं उसकी क्षति के लिए दायित्व का निर्धारण हेतु गठित न्यायिक जाँच आयोग के अध्यक्ष, सदस्य एवं सचिव के वेतन/भत्ते एवं सेवा शर्त्तें आदि का निर्धारण ।**

ग्रामीण विकास विभाग के संकल्प संख्या- 258459 दिनांक- 18.01.2016 द्वारा सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना के अंतर्गत उठाव किये गये खाद्यान्न के अवशेष अंश की वसूली एवं उसकी क्षति के लिए दायित्व का निर्धारण हेतु माननीय न्यायमूर्त्ति श्री उदय सिन्हा (सेवा निवृत्त) पटना उच्च न्यायालय की अध्यक्षता में न्यायिक जाँच आयोग का गठन किया गया है । आयोग के सदस्य श्री संजय कुमार सिंह, भा.प्र.से. (सेवा निवृत्त) एवं श्री अरूण कुमार सिंह IA&AS (सेवा निवृत्त) तथा सचिव श्री शशि भूषण वर्मा, संयुक्त सचिव (सेवा निवृत्त) नामित किये गये हैं । इनके वेतन भत्ते एवं अन्य सेवा शर्त्तों का निर्धारण विचाराधीन था ।

2. सम्यक विचारोपरांत आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों एवं सचिव के वेतन/भत्ते, सेवा शर्त्तें आदि का निर्धारण निम्नानुसार करने का निर्णय लिया गया है :-

(1) वेतन एवं भत्ते :- (i) अध्यक्ष -

(1) मूल वेतन	₹ 80,000/- प्रतिमाह
(2) मंहगाई भत्ता	मूल वेतन का अनुमान्य मंहगाई भत्ता
(3) मकान किराया भत्ता	मूल वेतन का अनुमान्य मकान किराया भत्ता
मूल वेतन + मंहगाई भत्ता + मकान किराया भत्ता से पेंशन की राशि घटायी जायेगी तथा इस नियोजित अवधि तक पेंशन पर महंगाई राहत देय नहीं होगा ।	

(ii) सदस्य -

(1) मूल वेतन	सेवा निवृत्ति के समय प्राप्त मूल वेतन
(2) मंहगाई भत्ता	मूल वेतन का अनुमान्य मंहगाई भत्ता
(3) मकान किराया भत्ता	मूल वेतन का अनुमान्य मकान किराया भत्ता
मूल वेतन + मंहगाई भत्ता + मकान किराया भत्ता से पेंशन की राशि घटायी जायेगी तथा इस नियोजित अवधि तक पेंशन पर महंगाई राहत देय नहीं होगा ।	

(iii) सचिव -

(1) मूल वेतन	सेवा निवृत्ति के समय प्राप्त मूल वेतन
(2) मंहगाई भत्ता	मूल वेतन का अनुमान्य मंहगाई भत्ता
(3) मकान किराया भत्ता	मूल वेतन का अनुमान्य मकान किराया भत्ता
मूल वेतन + मंहगाई भत्ता + मकान किराया भत्ता से पेंशन की राशि घटायी जायेगी तथा इस नियोजित अवधि तक पेंशन पर महंगाई राहत देय नहीं होगा ।	

(2) मकान किराया भत्ता :- अध्यक्ष, सदस्य एवं सचिव को सरकारी आवास की सुविधा देय नहीं होगी, उन्हें केवल अनुमान्य मकान किराया भत्ता देय होगा । आवास के विद्युत विपत्र एवं अन्य करों/शुल्कों का भुगतान अध्यक्ष, सदस्य एवं सचिव ही करेंगे ।

(3) वाहन :- वित्त विभाग/बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा निर्धारित दर पर ए.सी. युक्त भाड़े की वाहन की सुविधा अनुमान्य होगी ।

(4) मोबाईल :- अध्यक्ष को ₹ 1500/- (एक हजार पांच सौ रूपये) एवं सदस्य तथा सचिव को ₹ 1000/- (एक हजार रूपये) मासिक मोबाईल भत्ता अनुमान्य होगा ।

(5) सेवा शर्त्तें :- आयोग के अध्यक्ष, सदस्य एवं सचिव की सेवा शर्त्तें वही होंगी, जो समय-समय पर यथा संशोधित जाँच आयोग/समिति में नियुक्त होने पर सरकारी अनुदेशों के अधीन अनुमान्य है । अध्यक्ष को आसीन न्यायाधीश के अनुसार सत्कार भत्ता देय होगा ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना/राज्यपाल सचिवालय/मुख्यमंत्री सचिवालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद/बिहार लोक सेवा आयोग/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय ।

(प्रमोद कुमार बिहारी)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:-266774 पटना, दिनांक:-18-03-2016
ग्रा0वि014(विविध)न्याय-07/2015

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को ई-गजट में सूचनार्थ प्रेषित।

2. अनुरोध है कि प्रकाशित सूचना की 100 (एक सौ) अतिरिक्त प्रतियाँ ग्रामीण विकास विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए ।

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:-266774 पटना, दिनांक:-18-03-2016
ग्रा0वि014(विविध)न्याय-07/2015

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/महालेखाकार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/अध्यक्ष, न्यायमूर्त्ति श्री उदय सिन्हा, न्यायिक जाँच आयोग, पटना/सदस्य, न्यायिक जाँच आयोग श्री संजय कुमार सिंह एवं श्री अरूण कुमार सिंह/सचिव, न्यायिक जाँच आयोग श्री शशि भूषण वर्मा/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/मुख्यमंत्री सचिवालय/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । प्रत्येक विभाग/विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि उनके अधीनस्थ सभी कार्यालयों/स्थानीय निकायों/निगमों/लोक उपक्रमों/पर्षद को अविलम्ब सूचित करा दें ।

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:-266774/ पटना, दिनांक:-18-03-2016

ग्रा0वि0-14(विविध)न्याय-07/2015

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । ।

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:-266774/ पटना, दिनांक:-18-03-2016

ग्रा0वि0-14(विविध)न्याय-07/2015

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग को बेवसाइडट पर अपलोड करने हेतु हेतु प्रेषित ।

सरकार के विशेष सचिव